से नियन्त्रण की दृष्टि से दिखाई नहीं देते । ड्रगइवर्स अधिकांश अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अनजान होते हैं । वह जिस को ले जा रहे हैं वह चीज क्या है इसका भी उनको पता नहीं होता । परिवहन मंत्रालय की ओर से बीच में एक योजना चली थी कि ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलेगा जो दसवीं कक्षा तक पास होगा । अगर दसवीं कक्षा पास नहीं होगा तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा । लेकिन जो भी कंट्रेक्टर्स थे उनके दबाव में आकर यह योजना पीछे पड़ गई और आज भी जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग, हम क्या ले जा रहे हैं, यह भी नहीं जानते, ऐसे लोगों के हाथ में ये सारे चलते-फिरते बम चले गये हैं । इसलिए मैं सरकार से पहले तो यह मांग करूंगा कि आगे गाड़ी चलाने की अनुमति उन्हीं को दी ज कुछ साधारण तो पढ़े-लिखे हों कारण उनको यह पता हो कि वह क्या कर रहे हैं । उसके बाद टैंकर पर जो हजारों-हजार चलते-फिरते बम ले जाते हैं, उस पर यह लिखना आवश्यक है कि इसके अंदर क्या है । लेकिन इस घटना में यह दिखाई देता है कि पुलिस वाले को भी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या था । ड्राइवर को भी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या था । गांव वाले तो बेचारे अनपढ़ थे उनको भी पता नहीं था कि वह क्या ले जा रहे थे । पता यह है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द उस पर लिखें थे जो न ड्राइवर पढ़ सकता था, न आदिवासी पढ़ सकते थे और लगता यह भी है कि न पुलिस वाला पढ़ सकता था । इसलिए ऐसे चलते-फिरते बम जो हों उन पर प्रादेशिक भाषाओं में, जिसको साधारण आदमी तो पढ़ सकें, लिखा हो कि इसके अंदर किस प्रकार का पदार्थ है ।

राष्ट्रीय महामार्ग पर हजारों वाहन दिनभर चलते हैं लेकिन किसी प्रकार की रुग्ण वाहिकाओं को सेवा इस पर चलाई नहीं जाती । लगता यह है कि भूतल परिवहन मंत्रालय को, जहां ऐसे महामार्ग पर रासायनिक वस्तुओं का वहन होता है वहां रुग्ण वाहिकाओं की पर्याप्त सुविधाएं रखने की आवश्यकता है । उसके साथ यह घटना होने के बाद भी सरकार को पता चल नहीं सका बहुत देर तक क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा उस महामार्ग से सरकार के पास जाने की नहीं थी । इसलिए भूतल परिवहन मंत्रालय से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि इस राष्ट्रीय महामार्ग पर एक पेट्रोलिंग वैन सौ-दो सौ किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना घटे तो स्वाभाविक रूप से उसका पता तुरन्त नजदीक के अस्पताल को हो जाए । इसलिए जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि ऊपर-ऊपर से देखने में यह साधारण दुर्घटना लगती हो लेकिन जहां हम कानून ठीक से बनाते नहीं हैं और जो कानून बनाते हैं उसका क्रियान्वयन हम ठीक से नहीं करते । जो क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं तो उस पर भी हम सैकड़ों प्रकार की अड़चनों का निर्माण करते हैं । इसी कारण इस चलते-फिरते बम ने 70 लोगों की जान ली । मैं यह आशा करता हूं कि यह एक प्रकार का बलिदान है जो व्यर्थ नहीं होगा, केन्द्र का भूतल परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारें इसके बाद इसमें उचित ऐसा उपाय करेंगी जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी । धन्यवाद ।

—

**Clarification on the statement made by the Minister on recent-deaths in Delhi due to consumption of spurious drugs**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Chow-dhry Hari Singh. He is not here. Shri Ranjit Singh.

**श्री रणजीत सिंह** (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में हच ट्रेजडी के बारे में, मैं समझता हूं पिछले दस सालों में इतनी बड़ी ट्रेजडी नहीं हुई है । इसमें कोई दो सौ लोगों के मारे जाने की खबर है । जिस तरह से यह बांटी गई है उसके बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कदम उठाया जिससे और जगह इसको बंद कर दिया गया वरना हजारों आदमियों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ता ।

[श्री रणजीत सिंह]

यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बताया गया है कि 5-11-91 को हिन्दू राव होस्पिटल में दो आदमियों को बेहोशी की हालत में लाया गया जिनकी बाद में डेथ हो गई । बाद में इन्क्वायरी से पता चला कि इसका कारण सुरा नाम की एक शराब थी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कर्पूर आसव नाम से थी । इसको करनाल फार्मेसी ने बनाया था । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता था कि इस बारे में गवर्नमेंट ने अब तक इन्क्वायरी भी की है और एक कमीशन भी बनाया गया है । यह इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस पर जरूर गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी । इस बारे में जो फेक्ट्स हैं उनको मैं जानना चाह रहा था और सरकार के नोटिस में लाना चाह रहा हूं कि इस मामले में करनाल फार्मेसी के कितने लोगों को एरेस्ट किया गया है और कहां से यह सुरा नाम का सप्लाई किया गया मेटिरियल पकड़ा गया है? क्या इसके पहले भी करनाल फार्मेसी ने इस तरह की शराब बनाई थी और क्या ऐसी घटना पहले भी घटी है और इस प्रकार का मामला गवर्नमेंट के नोटिस में आया है या नहीं इतना बड़ा जो यह काण्ड हुआ है जिसमें हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या ऐसे काम के लिए किसी ब्यूरोक्रेट का प्रोटेक्शन था या दिल्ली के किसी बहुत बड़े पोलिटीशयन का इसमें हाथ था क्योंकि हर आदमी की यह हिम्मत नहीं हो सकती है कि नेशनल केपिटल में ऐसा मामला हो जाय और किसी की नोटिस में भी न हो और राष्ट्रीय राजधानी के पास इस प्रकार का धंधा धड़ल्ले से चले ? आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं का आयुर्वेदिक संस्थाओं के माध्यम से देश-विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है और उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और आजकल इस प्रकार से स्पिरिट मिलाकर इन प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है । इसलिए क्या सरकार स्पिरिट आदि जहरीले पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाएगी ताकि आयन्दा आयुर्वेदिक दवाओं में इसका मिलाना रोका जा सके ? मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में बड़ी सख्ती से कदम उठाये जायें ताकि दुबारा कभी भी कोई मानवता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके और इस तरह के स्यूरियस ड्रग्ज को सप्लाई करने को रोका जा सके ।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, we have no objection to the Home Minister making a statement on this tragedy but it could have been more appropriate if the Health Minister was present in the House because it is a matter pertaining to health. It is mentioned in the statement that the Delhi Administration has appointed a Commission of Inquiry. It would have been more appropriate if the Commission of Inquiry was appointed by the Central Government so that jurisdiction could be held by this Commission even in Uttar Pradesh where the spurious ayurvedic medicine was manufactured.

Secondly, Madam, it was a year back when the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha had cautioned the Government that there was some spurious drug being manufactured by some of the agencies without licence. Health Ministry was alerted, but there was no action on the part of the Government. Will you conduct an inquiry into this matter as to' how and why the Government did not act when they were alerted in the matter?

[The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair].

Sir, the medicines which are termed as 'ayurvedic' are not coming under the Drug Control Act. I would like to know whether this Act will be amended in future so that ayurvedic medicines are also brought under its purview.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Suresh Pachouri, Not there Dr. Ratnakar Pandey.

**डा. रत्नाकर पाण्डेय** (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली में जो यह दर्दनाक काण्ड हुआ है और कर्पूर आसव के नाम पर जो जहरीली शराब बेची गई है इसमें सैकड़ों लोग काल के शिकार हुए हैं। मंत्री महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कहा है कि इस संदर्भ में सरकार कड़ाई से कदम उठा रही है। महोदय, एक ओर सरकार मद्य-निषेध का विज्ञापन करती है और दूसरी ओर टैक्स प्राप्त करने के लिये नाजायज ढंग से शराब की बिक्री के लिये नीलामी होती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद जो गरीब मजदूर हैं या जो अभावग्रस्त लोग हैं वे अपने नशे की आदत या अपने गम को भुलाने के लिये बिना सोचे समझे ऐसे अल्कोहल का, मादक द्रव्य का उपयोग करते हैं, जो जहरीला होता है। इस तरह की घटनायें देश के अनेकों हिस्सों में घटती रहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो लाइसेंस और परमिट इसके लिये दिये जाते हैं उनका पालन न करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाने जा रही है जो कि सब पर लागू हो? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो लोग इस शराब कांड में कालकवलित हो गये हैं, मौत की नींद सो गये हैं, उनके परिवारों को सरकार क्या सहायता दे रही है और भविष्य में इस तरह के नकली अल्कोहलिक ड्रग्स जिनमें जहर मिला हो, वह बाजार में न बिके इसके लिये सरकार क्या प्रीकॉशन्स लेने जा रही है?

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों सुरा पान की घटना से दिल्ली में अनेकों लोगों की जानें गई और अनेकों लोगों की आंख की रोशनी गई, अनेकों लोगों के दिमाग का संतुलन बिगड़ा और नाना प्रकार के रोगों से लोग पीड़ित हुए। जो घटना के शिकार लोग हैं उनके प्रति हमदर्दी और जो इस घटना के लिये दोषी हैं उनके प्रति दिलोदिमाग में रोष होना स्वाभाविक बात है। लेकिन तथ्यों से यह सब अवगत हों, घटना के लिये जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो और भविष्य में इस तरह की घटना न घटे यह मंशा मंत्री महोदय के वक्तव्य की है और होनी ही चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसका एक पहलू तो कुछ तथ्यों को स्पष्ट करता है, लेकिन उसके बाकी पहलुओं से भ्रामकता की स्थिति पैदा हुई है। इसलिये उनके संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

एक जो मंत्री महोदय ने तथ्य स्पष्ट किया है वह यह है कि यह सारा घटनाक्रम दिल्ली में चला। दिल्ली में ही लोग मरे, दिल्ली में ही लोगों की गिरफ्तारी हुई। 93 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 337 मुकदमात अपराधियों के खिलाफ दर्ज हैं और 73087 सुरा की बोतलें पकड़ी गई और जब्त की गई हैं। जो लोग कर्पूर आसव बनाने वाले थे, उनकी करनाल फार्मेसी की फैक्टरी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में स्थित तो है। परन्तु वे दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली में ही रहते हैं तथा वे दिल्ली में ही पकड़े गये हैं। यह सारा घटनाक्रम दिल्ली के अंदर हुआ। यहां तक तो यह वक्तव्य इन बातों को स्पष्ट करता है। लेकिन आपने हिन्दी वक्तव्य के पैरा 2 में शब्द इस्तेमाल किया "सुरा", मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस तरफ चाहूंगा, और पैरा 4 में आपने शब्द इस्तेमाल किया "कर्पूर आसव" और पैरा 6 में आपने शब्द इस्तेमाल किया "जहरीली दवायें"। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? क्या ये तीनों पदार्थ एक ही हैं या ये अलग-अलग पदार्थ हैं, पहला प्रश्न मेरा यह है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 73087 बोतलें बरामद हुई उन पर क्या क्या लेबल लगे हुए थे? क्या वे एक ही फैक्टरी द्वारा निर्मित थे या विभिन्न फैक्टरियों या फार्मेसियों द्वारा निर्मित थे?

[श्री संघप्रिय गौतम]

तीसरा स्पष्टीकरण मैं यह जानना चाहूंगा कि जो लोग इस सुरा पान के कारण मौत के घाट उतरे क्या उनके घरों से भी कुछ सुरा की बोतलें प्राप्त हुई? यदि हुई तो उन पर क्या क्या लेबल लगे हुए थे? इसके इलावा चौथी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इसकी बिक्री दिल्ली में इतने दिनों से बड़े पैमाने पर चल रही थी तो उसके लिए आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस के लोगों के खिलाफ जैसी कि पैरा-3 में कहा गया कि पांच थानों से मरीज हिन्दू राव अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन अखबार में पढ़ने को यह मिला कि जहांगीर पुरी थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को निलम्बित किया गया, मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी पुलिस और आबकारी विभाग के जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई? अन्तिम स्पष्टीकरण मैं यह चाहूंगा कि मेरी जानकारी यह है कि 20 प्रतिशत से ज्यादा जिन पेय पदार्थों अथवा दवाओं में मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है उनको विष घोषित कर दिया गया है तो फिर इस प्रकार 20 प्रतिशत से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल वाली ड्रग्ज को बनाने और बेचने की दिल्ली में क्यों अनुमति दी गई। क्या यह दिल्ली पुलिस और दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की मिलीभगत नहीं है? अंत में मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के शब्दों और कांग्रेस के इतिहास में यह लिखा है कि कोई शराब पीयेगा नहीं, बनायेगा नहीं और सुचेता कृपलानी जी ने तो यहां तक कहा था कि जो शराब पी कर निकलेगा वह मेरे सीने पर हो कर निकलेगा। तो फिर शराब बंद क्यों नहीं हुई? यह राजस्व जो इन नशीले पेय पदार्थों से बनता है क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिससे आपको राजस्व मिल जाए? मैं यह कहना चाहता हूं कि नशे पर पूर्ण पाबन्दी हो सकती है, नशाबन्दी हो सकती है। यदि आपको सरकार कोई विकल्प नहीं दे सकती है तो मैं आपको विकल्प देने के लिए तैयार हूं। मेरा निवेदन यह है कि देश में सुरापान पूरी तरह से बन्द कर दिया जाए। यह स्पष्टीकरण मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, जो कुछ भी दिल्ली में पांच, छ, और सात तारीख को हुआ, पांच तारीख को लोग दीवाली मना रहे थे, लाखों लोगों के घरों में जब रोशनी थी तो उसी दिन सैंकड़ों लोगों के घरों की रोशनी सदा के लिए बुझ गई। दुख की बात यह है कि यह कांड दिल्ली में और देश की राजधानी में हुआ। सरकार की ओर से जो बयान आया है, उस बयान से ऐसा लगता है कि सरकार ने इसे सामान्य रूप में लिया है जिससे ऐसा लगता है कि यह कोई गम्भीर मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में इस तरह की घटनाएं तो रोज होती ही रहती हैं। जो स्टेटमेंट हमारे सामने है सरकार ने एडमिट किया है कि 199 लोगों की मौत अभी तक हुई है। यह फिगर सरकार के सामने है। बहुत ही ऐसी मौतें हुई होंगी जिनकी फिगर्ज सरकार के पास नहीं होंगी। लेकिन इस संबंध में दो तीन बातें मैं सरकार से जानना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मौत का कोई कम्पनसेशन नहीं होता है लेकिन सरकार ने एलान किया कि जो मौतें हुई हैं उनके लिए हम 10 हजार रुपये और जो लोग अंधे हुए हैं उनको पांच हजार रुपये देंगे। क्या यह उचित बात है कि सरकार मौत के बदले में केवल 10 हजार रुपये और जिनको जीवन भर के लिए आंख की रोशनी खत्म हो गई है जो कि मौत से भी बदतर है उनको पांच हजार रुपये दे? इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह राशि बढ़ाई जाएगी या पांच हजार और 10 हजार रुपये दे कर के सरकार यह समझती है कि हमने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी तक इस तरह की जो बातें होती हैं हर पर्वत्योहार के अवसर पर लोग देखते हैं। होता यह है कि पर्व त्योहार के अवसर पर लोग अपने को सुरक्षित करके समझते हैं कि सबसे

बड़ी खुशी यही मना रहे हैं और ऐसे लोग जो कि अपने को सदहोश साबित करते हैं उनके घरों में उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग बराबर तड़पते रह जाते हैं। तो क्या सरकार इस बात का फैसला करेगी कि पर्व त्योहार के अवसरों पर भी शराब या जहरीली चीजों या इस तरह की चीजों की बिक्री न हो और इस तरह की दुकानें बंद रहेंगी।

तीसरी बात यह जानना चाहूंगा जैसा कि अखबारों में यह आया था कि जांच के लिए मैजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। मैजिस्ट्रेट के जिम्मे जांच का भार दिया गया है तो वह रिपोर्ट कब आयेगी और जब वह रिपोर्ट आयेगी तब सदन के सामने क्या सरकार उसे रखेगी या नहीं और अंतिम बात यह है कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि सरकार इस बात के लिए सावधान है कि भविष्य में इस तरह की वारदात न हो। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव कार्यवाही की जा रही है। तो यह "सभी संभव कार्यवाहीं" क्या है, भविष्य में कौन-कौन सी संभव कार्यवाही करने जा रहे हैं, इसकी भी सूचना क्या आप सदन को देंगे? यदि देंगे तो वह क्या है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सुरा कांड ने दिल्ली की दिवाली को काली दिवाली में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के गरीब लोग जो झोपड़ पट्टियों में रहते हैं और आम इलाकों में रहते हैं वहां इस सुरा कांड ने एक सिहरन सी पैदा कर दी। आज आदमी इतना आतंकित है कि आयुर्वेदिक शराब की बात तो छोड़िए, आयुर्वेद के नाम पर बिकने वाली शराब की बात तो छोड़िए, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पर भी खड़ा होकर कोई टानिक लेने के लिए तैयार नहीं है।

मंत्री महोदय ने जो ब्यान दिया है। वह ब्यान तो लगता है कि कोई एफ.आई.आर. है कि इतने बजे घटना घटी, इतने लोग पाये गये, इसको गिरफ्तार किये गया, उसको छोड़ दिया गया। इसके सिवाय और कुछ सामने नहीं आया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): एफ०आई०आर० यानी क्या।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट। वही उन्होंने दी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीटयुट की भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं और हमें आश्चर्य होता है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हों चाहे वह मृत संजीवनी हो चाहे वह सुरा हो, किसी भी आयुर्वेदिक दवाई में बाहर से मिथाइल एल्कोहल या इथैनोल मिक्स नहीं किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर जो एल्कोहल बनता है वह उसके अंदर फर्मेंटेशन का कारण है। वह कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बुटियों के मेल से जो घोल बनता है उसका महीने या दो महीने में फर्मेन्टेशन होता है और उसमें 12 प्रतिशत तक एल्कोहल आ जाता है। मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं मांग करना चाहता हूं कि वह अफसर कौन है जिसने एक तरफ तो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने का कारखाने को लाइसेंस दिया और उसके साथ-साथ मिथाइल एल्कोहल का चार हजार लिटर का कोटा भी दिया। उस अफसर को पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक दवाई में बाहर से एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जितना दोषी वह कर्नाल फारमेसी का मालिक है उतना ही दोषी वह अफसर है जिसने मिथाइल एल्कोहल का कोटा इस कम्पनी को दिया था। उसे भी गिरफ्तार करना जरूरी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इथैनाल का कोटा दिया गया जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसमें कापर सल्फेट मिलाया जाता है जिसको हिंदी जुबान में नीला थोथा कहते हैं। पुराने जमाने में लोग नीला थोथा खाकर मर

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

जाते थे और वह एथेनोल भी ऐसे कारखानों में दी जाती है, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा पानी मिला दिया जाए, तो यह नशे का भी काम करती है और बहुत जल्दी किक देती है। यह बेचारे गरीब लोग, मेहनतकश लोग, जो रोज मेहनत करके आते हैं और उनको नशा होकर, वह बेहोश होकर सो जाते हैं, वह बेहोशी ही उनके लिए नशा है। इसीलिए, यह सुरा उनमें पापुलर है।

पर अफसोस की बात है कि हमारी एन्शेंट इंडियन मेडिसिन साईंस को, आयुर्वेदिक साईंस को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। और तो और, जो इनके बड़े-बड़े साईन-बोर्डस हैं, उन पर लिखा हुआ है कि ऐसी सुरा पीने से शरीरिक शक्ति बढ़ती है और मैथुन की शक्ति बढ़ती है और इस तरह से लोगों को एट्रेक्ट करने के लिए बूढ़ों को जवानी वापिस आ जाती है—इस तरह का एट्रेक्शन देकर गरीबों को यह जहर पिलाते हैं।

**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** आप जेकब साहब को क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या दिल्ली शहर में कोई सरकार है या नहीं है? क्या इन्हें ऐसे बोर्ड दिखाई नहीं देते जो सरेआम ऐसी दवाइयां बेचते हैं, उनका कोई निरीक्षण नहीं होता, उनको कोई कैमिकल टेस्ट नहीं होता है कि क्या चीज बिक रही है, क्या चीज नहीं बिक रही है?

दूध वाले को तो आप पकड़ लेते हैं कि दूध में पानी मिलाया है, किंतु दवाइयों में जहर मिलाने वाले को क्यों नहीं पकड़ा जाता है?

बड़े अफसोस की बात है कि यह हमारी गलती है, सरकार की गलती है कि अनपढ़ गरीब मजदूर लोग अपनी खुशी मनाने के पीछे वह सस्ती शराब खरीदने गये और वह मारे गये। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारी गलती के कारण हुआ है। मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि जितने लोग मारे गये हैं—आपने तो लगता है कि खैरात बांट दी है, दस हजार रुपया दे दिया अंधा जो हुआ, जिसकी सारी उम्र गई, छोटे-छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ बीवी और बच्चे हैं, कमायेगा कौन? उनमें से कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, कोई उड़ीसा और कोई त्रिपुरा का है।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** उनमें से ज्यादातर बीस से तीस वर्ष के बीच में हैं।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :** मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार जिनके लोग मरे गये हैं, उनके परिवार के सदस्यों को एक-एक आदमी की मृत्यु के पीछे पचास हजार रुपये का मुआवजा दे और जो लोग अंधे हो गये हैं, उन्हें पच्चीस हजार रुपये का मुआवजा दे और उसके साथ-साथ उनका रिहैबिलिटेशन करने का बंदोबस्त करे। कहीं कौमी दंगे हो जाते हैं, वह हमारे ला एंड आर्डर के फेल्योर के कारण होते हैं, यह भी एक तरह ला एंड आर्डर का फेल्योर है, यह हमारी मशीनरी का फेल्योर है और हम इस चीज को क्यों नहीं मानते जब दंगों में लोग मारे जाते हैं, तो वहां हम पैसा बांटने के लिए चले जाते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टियां मांग करती हैं। आज क्यों नहीं पार्टियां इनके लिए मांग करतीं, क्योंकि यह वोट बैंक नहीं है। (समय की घंटी)

श्री सुरेन्द्र सिंह (हरियाणा) : दिल्ली में भी इलेक्शन होता है, भाई।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इनके जो मृतकों हैं, उसके परिवार के सदस्यों को पचास हजार रुपये प्रति मृतक और जो अंधे हो गये हैं, उनको पच्चीस हजार रुपये दिये जायें और उनके परिवार के रिहैबिलिटेशन के बंदोबस्त किया जाए यही मेरी मांग है और उसके साथ-साथ जिस अधिकारी ने इस कंपनी को लाइसेंस दिया था

और मिथाईल अलकोहल का कोटा इशू किया था, उसको भी जेल भेजा जाए। धन्यवाद।

**श्री संघ प्रिय गौतम** : वह आपके जमाने का था।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया** : चाहे वह किसी के जमाने का हो।

**श्री कैलाश नारायण सारंग** : (मध्य प्रदेश) : यह सुरा बनाने वाला भारद्वाज कौन है?

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया** : मेरा मुंह मत खुलवाइये।

**मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : (उत्तर प्रदेश) : कोई भी बनाने वाला हो, इस तरह से जानें लेने का हक किसी को नहीं है।

**श्री कैलाश नारायण सारंग** : यह इनकी पार्टी का है। वह आपकी पार्टी के मंडल का सचिव है।

**श्री संघ प्रिय गौतम** : वह तो खुद कह रहे हैं।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कार्ल मार्क्स ने कभी लिखा था कि अगर पूंजी को कहीं तीन सौ फीसदी मुनाफा दिखाई दे, तो वह अपने मालिक की गर्दन तक दांव पर लगा सकता है। इस सुराकांड ने हमारे इस पूंजीवादी समाज की हकीकत को दिखा दिया है। कि किस तरह मुनाफे के लिए वह सरकार, पुलिस और प्रशासन जिस पर आम जनता की जिन्दगी की हिफाजत का दायित्व होता है वह सरकार और प्रशासन तथा पुलिस किस तरह अपने दायित्वों से मुकर सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अहलुवालिया जी की बात से सहमति जाहिर करते हुए यह कहना चाहूंगी कि पहली बात तो निश्चित रूप में यह है कि आयुर्वेद के नियमों को ताक पर रख कर कि उसमें 12 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल नहीं मिलाया जा सकता, तो इसकी अनुमति कैसे दी गई? सवाल यह है कि वह फर्म जिसका लाइसेंस भी नवीनीकरण नहीं किया गया उसके बाद तक वह काम करती रही और इस तरह से गैर कानूनी ढंग से काम करती रही और इसके चलते दिल्ली में यह भयंकर हादसा हुआ। दिल्ली में यह पहला बड़ा हादसा है, लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे हादसे अकसर होते रहते हैं। मेहनतकश जनता, गरीब जनता के लिए सस्ती शराब के नाम पर यह जो जहरीली शराब बेची जाती है जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि इसको रोकने के लिए पुलिस ने तो अपने हाथ ऐसे झटक लिए कि साहब, अगर दवा के नाम पर जहर बेची जाती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं। दवा के नाम पर अगर शराब बेची जाती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस जिस तरह अपने हाथ अलग कर सकती है, प्रशासन दूसरी तरफ आंख मूंद सकता है, क्या सरकार भी इस तरह से आंख मूंद लेगी कि दिल्ली की सड़कों पर पनवाड़ी की दुकान पर हर गली-मोहल्ले में दुनिया भर में इस तरह की अवैध शराब की लगातार बिक्री हो रही है और हमारी पुलिस क्या हमें यह बताना चाहती है कि वह इस तरफ से बिल्कुल अंधी सी थी कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि इस तरह की शराब की बिक्री होती है जो शराब के नाम पर जहर है और जो जनता की जान भी ले सकती है? तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस मुनाफे के तंत्र में वे कौन से अधिकारी शामिल हैं, कौन से पुलिस अधिकारी शामिल हैं और सरकार की तरफ से भी क्या कोई लोग हैं जो इस मुनाफे के धंधे में शामिल हैं? मैं चाहूंगी कि इन तमाम वाकयात पर गहरी खोजबीन की जाए ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि यह हादसा निश्चित रूप से ऐसा अभानवीय हादसा है जिसने हमारी सारी की सारी संवेदना शीलता को झकझोर दिया है कि हम

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

गरीब जनता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, गरीब जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या है? सरकार यह कहती है कि हम गरीब जनता के हिमायती हैं, वह सरकार किस तरह अपने दायित्वों से चूकती है, अगर कानून में खामियां हैं तो उस कानून को दुरुस्त करें। कानून में कुछ पेचीदगियां हैं कि जिनके कारण अलग-अलग रास्तों से लाभ उठाकर अनेक कंपनियां इसमें मिथाइल स्पिरिट मिला रही हैं और उसको रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार इस घटना की गंभीरता को समझते हुए तमाम वह पग उठाए जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। दूसरा मामला यह है कि इस हादसे से जो पीड़ित हुए लोग हैं उनके लिए मुआवजे की राशि निश्चित रूप में बहुत ही कम है, जहां इतने लोग अंधे हो गए हैं जिनको आय का सारा स्रोत खत्म हो गया है, अगर ऐसे लोगों के प्रति सरकार इतने लापरवाह ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी तो मैं मैं समझती हूं कि इस तरह के मुनाफाखोरों का उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा और गरीब जनता के प्रति सरकार की लापरवाही उन्हीं मुनाफाखोरों को ही प्रोत्साहित करेगी।

DR. YELAMANCHILI SHIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, as per the statement, it appears that there is laxity on the part of the Government In spite of the licence having lapsed as long back as three years ago, the Uttar Pradesh government continued to supply alcohol to them. And the situation is the same in other States too. It is not peculiar to Uttar Pradesh. The same system is prevalent in other States also. The State Governments are depending more and more on sale of liquor and the taxation on it. Out of the total alcohol produced in each State, 85 per cent goes for arrack and 15 per cent goes as industrial alcohol for purposes of drugs, pharmaceuticals, cosmestics, etc. Under the guise of "industrial alcohol", that 15 per cent is also being diverted as rectified spirit and as arrack or as illicit liqucr or whatever it is. What I mean to say is that the Government should make it a point to see that the industrial alcohol or the laboratory alcohol is not diverted to arrack shops or for consumption as arrack.

Sir, the hon. Minister mentioned that there is an enquiry Commission appointed in this regari but there is no time schedule. Is there any tint-schedule? On which date they are supposed to submit their report and are you going to extend its terms or not? These things should be emphasised. I would like to advise that all the Sidha or Ayurvedic medicines etc. should exhibit the labuls containing the contents of the ingredients. It is a fact that so many Ayurvedic medicines contain very dangerous substances like Arsenic and Lead which are deleterious to the interest of the human health but these drugs do not display their labels with their ingredients. I would like to advise you to make it a point to see that they should display the ingredients. If it is warranted, you should amend the law eveto to ensure this.

Sir, the ex-gratia announced is Rs. 10,000 for the bereaved and Rs. 5,000 for the blind or semi -blind people. This: is too low an amount. I would like to advise the Government to see that the ex-gratia may be enhanced. In Andhra Pradesh, when there was a massacre among Harijans, the State Government was good enough to announce ex-gratia to 1he tune of the one lakh rupees for esch person. Is the! Government taking steps to see thai it is enhanced? There are some of the clarifications which I would like to seek from the Minister.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस वक्तव्य से कई चीजें उभरती हैं। एक चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के मुनाफी

और आयुर्वेदिक निदेशालय ने इस फर्म को लायसेंस दिया था और उस लायसेंस की मियाद दिसंबर, 1988 में खत्म हो गयी थी। इसमें यह भी नहीं देखा गया कि इनकी कोई मियाद है? हायजेनिक कंडीशंस है या नहीं है? स्टेटमेंट में आया है कि वहां पर खाली टिन शेड पड़ा हुआ है और हायजिन की वहां कोई परवाह नहीं की गयी है। इस फर्म के लायसेंस का नवीनीकरण भी 1988 में बंद कर दिया गया, उसके बाद भी यह इसी लायसेंस में है कि उसको पोर्टेबल अल्कोहल 4 हजार लीटर बराबर दिया जाता रहा। तो जहां तक पोर्टेबल अल्कोहल का संबंध है, उसके पीने से या उससे कोई दवाई बनायी जाए तो उससे कोई मरता नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि लायसेंस के खारिज होने के बाद या नवीनीकरण न होने के बाद किसने इनको स्पिरिट का कोई बराबर जारी रखा? क्या वह अफसर या कर्मचारी आयडेंटीफाय हुआ और अगर हुआ तो उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? उसको सस्पेंड किया गया? यह पहला सवाल इससे उठता है कि जिसने लायसेंस खारिज होने के बाद भी उनको अल्कोहल का कोटा बराबर जारी रखा।

दूसरी चीज यह है कि सरकार की नशे की चीजों से ज्यादा-से-ज्यादा पैसा बनाने की या आमदनी बढ़ाने की चाह है, उसी ने शराब को इतना महंगा बना दिया है कि गरीब आदमी उसको खरीदकर पी नहीं पाता। दूसरे सरकार की नीति भी एक कारण है जैसे हमारे प्रदेश के जो पहाड़ हैं वहां पर बंदी चल रही है, लेकिन शराब बंद नहीं हुई है। वह इसी "सुरा" नाम से बिक रही है। तो इन चीजों ने भी कुछ मुनाफाखोरों को प्रेरित किया है कि वह इस तरह की शराब बनाएं। तो आप अपनी नीति की तरफ भी ध्यान दीजिए जिसकी वजह से साधारण आदमी को जहर पीने को मजबूर होना पड़ता है। यह घटना आज तो राजधानी में हुई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं, आज यहां, कल वहां, परसों वहां। इस तरह से बराबर होती रहती हैं। इसलिए इस नीति पर भी आप विचार कीजिए।

इसके साथ ही, यह जो शराब बनायी गयी, इसमें मिथायल स्पिरिट थी। मिथाइल स्पिरिट वह है, जो वार्निश के काम में आती है या दूसरे ऐसे कामों में आती है और उसमें यह स्पिरिट इसीलिए मिला दी जाती है कि उसको कोई पिए न। तो वह मिथाइल स्पिरिट फार्मेसी को किसने दी, जिसको इस्तेमाल कर शराब में डाल दिया। लगता तो यह है कि उसने और कुछ किया ही नहीं, उस मिथाइल स्पिरिट को ही बोतलों में भरकर लोगों को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? ऐन दिवाली के दिन, 5 नवंबर को आप रेफर करेंगे तो दिवाली थी, तो ऐन दिवाली का दिन, जो खुशी का दिन होता है, उसको मातम में और शोक में बदल दिया गया। किसने इसे पिया? जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी और झोपड़ी में इस राजधानी में रहते हैं, उन लोगों ने पिया और उनकी मौतें हुईं। आप बताते हैं कि 199 मौतें हुईं, यह अभी 63 अस्पताल में हैं, उसमें से भी और कितने लोग मरेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें से कुछ की आखें गई होंगी क्योंकि इसके पीने से आंख तो जाएगी ही। तो आप यह भी बताइए कि लोग जो जिंदा बचे हैं उनमें कितने अंधे हो गए हैं?

फिर, अगर यह फार्मेसी कर रही थी तो आपका जो ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन है, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे? आपका एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्या उन्होंने कभी यह चेक किया कि जो मात्रा प्रिसक्राइब है दवाओं में मिलाने की, उस मात्रा में मिलाई जा रही है या उससे अधिक, कम मिलाई जा रही है और क्या-क्या वहां किया जा रहा है? तो इसमें आपका एक्साइज डिपार्टमेंट भी दोषी है और ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अधिकारी भी दोषी हैं। मैं फिर से आपको जोर

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

देकर कहना चाहता हूं कि इससे इन्क्वायरी कमीशन का कोई मतलब नहीं है, कमीशन आफ इन्क्वायरी जो आपने बैठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं की गई? यह केवल एक जगह नहीं हुआ है, बड़े लंबे-चौड़े क्षेत्र में, पांच-पांच पुलिस थाने के इलाके का क्षेत्र आता है, उसमें लोग मरे हैं ज्यादातर गरीब आदमी मरे हैं। आप खाली उनको दस हजार रुपया दिया है, जो मर गए हैं उनके आश्रितों को। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस राजधानी के बड़े लोग, खाते पीते संपन्न लोग मरे होते तो क्या दस हजार रुपए पर संतोष कर लेते?

**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर)** : अनन्त राम जी, यह डिबेट नहीं है। आप क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए।

**श्री अनन्त राम जायसवाल**: क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने पूछा है कि क्या उन अधिकारियों को, जिन्होंने लाइसेंस खारिज होने के बाद स्पिरिट दी, कार्यवाही की गई?

**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर)** : वह तो आपने पूछ लिया।

**श्री अनन्त राम जायसवाल**: दूसरा, हमने पूछा कि मिथाइल स्पिरिट जब मिलाई वह कहां से हासिल की? कौन उसके दोषी हैं? फिर, एक्साइज डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अधिकारी क्या करते रहे? क्या सोते रहे या गप्प मारते रहे? क्या करते रहे? क्या उनकी इसमें साजिश थी?

**डा० रत्नाकर पाण्डेय**: गवर्नर क्या करते रहे? .....(व्यवधान).....

**श्री अनन्त राम जायसवाल**: हां-हां, वह सब आते हैं। अगर इन मौतों पर आपको इतना कहने से ही संतोष है पांडेय जी, तो आपको मुबारक है। आप इसकी गंभीरता को अनदेखा कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर)**: अनन्त राम जी, क्लेरिफिकेशन पूछिए।

**श्री अनन्त राम जायसवाल**: यह बड़े रिलेवेण्ट सवाल है। आप सुनिए और मंत्री जी से जवाब दिलवाइए। मैं निवेदन कर रहा था कि अगर यहां के संपन्न और बड़े लोग मरे होते तो यह दस हजार रुपए की रकम आप न देते। रेल एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें भी एक-एक लाख रुपया दिया जाता है, जबकि यहां पचास हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल के एक्सीडेंट में जैसे लोग मरते हैं, वैसे ही यह जो बेचारे विक्टिम बने हैं, शिकार हुए हैं, उनको एक लाख रुपया दिया जाय और जिनकी आंखें गई हैं क्योंकि उनकी जिंदगी तो मुश्किल हो ही गई है, उनको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना मृतकों के आश्रितों को आप देने जा रहे हैं। बाकी जो लोग पड़े हैं, उनके उपचार वगैरह की ओर भी ध्यान दीजिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इनकी टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं? उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल की गई हैं उसमें कोई मियाद बांधी गई है या नहीं? यह जो चीजें मैंने उठाई हैं वह टर्म्स आफ रेफरेन्स में शामिल की गई हैं या नहीं? अगर नहीं की गई है तो क्या उनको उसमें शामिल करने की कृपा करेंगे?

धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE B THE MINISTRY OF PARLIAMEN TARY AFFAIRS AND THE MINIS TER OF STATE IN THE MINISTR OF HOME AFFAIRS (SHRI M.N. JACOB). Sir, this is an unfortuna tragedy that had occurred. As one « my friends, probably *Mr.* Jol Fernandes, has mentioned, this is matter mainly being looked into *I* the Controller of Drugs because to manufacturers of these drugs—ayurc vedic, pharmaceutical and all oth drugs—are controlled by the A

under which the Controller of Drugs is the authority to see that. But since the incident, the unfortunate thing, happened in Delhi, I took up the responsibility. I visited the place of the ocurrence of the tragedy. I also visited the hospitals. I held discussions with various officials. Finally, when we started the enquiry, at the preliminary stage we found that this so-called Karpoorasav was manufactured in a unit of the Kamal Pharmacy in Ghaziabad in Uttar Pradesh State. So, we tried to contact on the very same day the U.P. Government and to get the full details about the manufacture. But, Sir, we were not able to get the full details as to what happened in the place of manufacture. Hon. Members have mentioned the number of bottles. I have given the number in my statement itself. I don't want to repeat that. All those bottles were seized by us and about 100 samples were taken for test in the laboratories, both in the forensic laboratory and also in the laboratory maintained by the Excise Department. All of them said that this is a poisonous thing, methyl alcohol. Some hon. Members mentioned that where we want to use so much of methyl alcohol. Sir, methyl alcohol cannot be used and should not be used. It is a poison. It is a poison that is not permitted anywhere. But, methyl alcohol . . *(Interruptions)*

SHRI S. S. AHLUWALIA: How was it allowed?

SHRI M. M. JACOB: That is why I am asking the question now. On 31-12-1988 the manufacturing licence of that firm ceased to exist. From (information, available with us, it appears that licence of the unit that manufactures it in U.P. was not renewed after 31-12-1988 and still 4000 litres of potable alcohol were supplied to that factory continuously. It was to be supervised by the drugs authorities in that area where the incident occurred. Now, today I got a fax message from the Uttar Pradesh Government which I will share with the Members. It also forms a Yery important part of the evidence. Oft the main question, about the licence issued—the mechanism of supervision and quality control—it says, "the question will be replied by the Medical Department of the Government of Uttar Pradesh. The message also says, "under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duty) Rule of 1966 there is a provision for taking samples by the exicise officer at least once in a month for analysis. The Kxcise Commissioner, Uttar Pradesh, had issued instructions in this behalf but these instructions were not followed in the case of' Kamal Pharmacy. We have been informed that action is being taken against the responsible officials of the Excise Department and that two inspectors who were found guilty have been suspended." This is all what I know about it.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why only suspension? Why were they not arrested?

DR. RATNAKAR PANDEY: Why not the Minister?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why not the Secretary of Excise Department?

SHRI M. M. JACOB: So many people have been killed. Till I get the full details... *(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम: मंत्री जी, आपकी परमिशन से मैं कहना चाहता हूं कि 73,087 बोतलें कर्पूर आसव की नहीं हैं, यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुरा और ड्रग्स की हैं। इसलिए ■ ■. Please, kindly tell what the label was these bottles bore. Please clarify.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Gautamji, let him complete his reply.

SHRI M'. M. JACOB: Accordingly to the Drugs and Cosmetics Rules, the label should shown the ingredients. Karpoorasav bottles should have

[Shri M. M. Jacob]

shown the ingredients. The bottles seized by us showed the company's name, as "KP", name 'Karpoorasav". The list of ingredients approved should be there. *(.Interruption)* That is why we have appointed an inquiry commission headed by a retired judge. His report has to come. Now the only thing is we have to wait till the report is available. You asked about the time factor, how long the inquiry would take. The inquiry time given toy us is two months. The judge has to submit his report within two months. Then you asked whether the judge could inquire into something that had happened in another State. Under the Commission of Inquiry the commission can call any witness from any part to give evidence. So that is *no bar...

SHRI ANANT RAM JAISWAL: What are the terms of reference of the inquiry commission?

SHRI M. M. JACOB: If you want to know the terms of reference, I can read them out to you for your information:

-Number of persons who died or who were disabled due to the consumption of the said spurious brew;

—Person or persons responsible for manufacturing, prepartion, storage, sale and supply of the said spurious brew;

—Negligence, if any, of authorities responsible for checking such acts;

—To recommend ways and means to prevent recurrence of such incidents; and

—Any other matter relevant to the incident.

These precisely are the terms of reference...

SHRI S. S. AHLUWALIA: There is no mention about issuance of licence or permit.

SHRI M. M. JACOB: I have mentioned at the beginning that this is not in the purview of the Home Ministry. It is controlled by the Drug Controller in the Health Ministry...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Are you not in charge of the Union Territory?

SHRI M. M. JACOB: Yes; that is why this action has been taken by us.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : एक मिनिस्ट्री का है तो दूसरी मिनिस्ट्री करेगी नहीं, उसमें टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस में शामिल होना चाहिये।

"I

SHRI M. M. JACOB: Section 33(d): A licence for manufacture of ayurvedic and unani preparations is required under the Drugs and Cosmetics Act. This Act regulates manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. Chapter IVA of the Act is applicable to ayurvedic and unani drugs. The Act provides for the constitution of an Ayurvedic and Unani Drugs Technical Advisory Committee to advise the Central Government and the State Governments on technical matters. Section 33(d) of the Act provides that from such date as may be fixed by the State Government no person shall manufacture for sale any ayurvedic or unani drug except under certain conditions. I have already mentioned what these conditions are in my earlier speech and also in the statement itself. So enforcement of the conditions is done at the point of the manufacture — monthly supervision. Now what we can do is to wait for the report of the judge and then look into the facts. In the meantime we will also get the report of the UP Government with all the details. Without getting all the details from the UP Government, I am not in a position to tell you what it is like ...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Permit is given by the Government. On whose recommendations did the Government of India give that permit?

* SHRI M. M. JACOB: It is not from the Government of India ...

SHRI S. S. AHLUWALIA Alcohol is totally under the Government of India.

SHRI M. M. JACOB: It is not alcohol as such. It is poison ... *(Interruptions)* .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): No, no please don't interrupt. Let us not cross-examine the Minister. It is not very fair. *(Interruptions)* Please sit down. The Minister is here to make a statement. *(Interruptions)*

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): There is a clear authority oh the distribution of "alcohol. Alcohol is distributed by the Centre to all the State Governments and they in turn distribute Alcohol to various . enterprises. That is the system. So, the Centre does not directly distribute alcohol to individual entreprises ... (Interruptions)

* SHRI M. M. JACOB: I had made that clear. Again, Sir, there was a question about what action has taken against the people who were found guilty ... *(Interruptions)* .. .1 will answer that question... *(Interrup tions)* ... The SHO of Jahangirpuri was immediately suspended. About the number of victims who died, one hundred and ninety-nine deaths were reported and cheques have been pre pared for 165 people. The next of the kin of some deceased are yet to be traced to pay them compensation. The number of -persons who were blinded is 44 and cheques have been prepared for all the 44 people . . . *(Interruptions)*....

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, दिल्ली में 13 थानों के अंतर्गत यह घटना घटी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो इन थानों के स्टेशन इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई है? दूसरी बात यह है कि एक एक्साइज इंस्पैक्टर सस्पैंड हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि एक्साइज इंस्पैक्टर के ऊपर जो और अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्यवाही की है? अगर नहीं की हैं तो उसका कारण क्या है क्योंकि असल में बड़े अधिकारी ही दोषी होते हैं और मार छोटे अधिकारियों पर पड़ती है।

श्री आर० के० धवन (आंध्र प्रदेश) : ऊपर के अधिकारियों को कुछ मालूम नहीं होता, सिर्फ एस०एच०ओ० को मालूम होता है।

SHRI M. M. JACOB: There was a question regarding compensation ... *(Interruptions)* ... Rs. 10000 and Rs. 5000 have been paid to the dead and the blinded...*(Interruptions)*... Again Mr. Yadav, the police is not supposed to take any action here. But there is a procedure... *(Interruptions)* . The Excise Inspector is there, the manu facturing place is there, there are so many other things. It will not be possible for a police officer to check every bottle in the shop... *(Interrup tions)* ... and it is not his job either. *(Interruption).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If you have finished then we. can proceed with the clarifications regard-in? the situation arising out of recent
ccmmunal violence at Varanasi....
*(Interruptions)* .. .Yes,. Mr. Pandey.

## CLARIFICATION ON THE STATEMENT MADE BY THE MINISTER. ON COMMUNAL VIOLENCE IN VARANASI

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने दिनांक 8 नवंबर और 13 नवंबर को वाराणसी में अकस्मात जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काए गए जिसमें दर्जनों व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों